न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 18/2018 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. कजोड पुत्र रामबक्स
2. पांच्या पुत्र रामदेवा
3. झौण्डीराम पुत्र किशना
4. मोतीलाल पुत्र किशना

} जाति मीना निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगली पत्नि महादेव(फौत)
2. लल्लु पुत्र महादेव
3. रामचरण
4. भरतलाल
5. लक्ष्मीनारायण } पि0 रणजीता
6. कौशल्या पत्नि रणजीता
7. भौरी पुत्री महादेव
8. संतरा पुत्री महादेव

} जाति मीना निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

9. उप जिला कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अन्तर्गत धारा 235 आर0टी0एक्ट वाद पत्र उनवानी प्रकरण महादेव बनाम कजोड अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु0 नं0 152/08 न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा।

उपस्थिति:– 1. श्री प्रकाश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. पं0 रामबाबू शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1 लगा. 6, 8 उपस्थित।

–:आदेश:– दिनांक 09.05.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार से है कि एक वाद पत्र उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण ने इस आशय का प्रस्तुत कर रखा है कि ग्राम गोपालपुरा तहसील रामगढ पचवारा स्थित आराजी ख0 नं0 336 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा तथा ख0 नं0 338 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड बतौर खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है और खातेदारी बाबत वाद पत्र अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विचारणीय है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में तनकी कायम होने के

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बाद प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई और जब एकतरफा मंशुखी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया तो उसे साज कर खारिज करवा दिया गया तथा सबूत प्रस्तुत करने के निवेदन को भी स्वीकार नहीं किया तथा प्रार्थीगण के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया और निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने भू–प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के अपील पेश कर दिनांक 9.7.2009 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करवाया तब से प्रकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के समक्ष विचारणीय था। दिनांक 16.5.2013 को सहायक कलक्टर रामगढ पचवारा के यहां पत्रावली स्थानान्तरित कर दी गयी। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी में नियत चल रही थी उसके बावजूद प्रार्थी का जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ और ना ही बन्द किया गया और पत्रावली स्थानान्तरित होने के पश्चात् सूचना नहीं दी गयी और प्रकरण का निस्तारण करने को जबरदस्ती तैयार हो गये जिसके विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा की टिप्पणी तलब की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी प्रकरण में प्राथीगण की जानकारी नहीं होने दी और मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री करवा ली जिसे प्रार्थीगण द्वार अपील करके निरस्त करवाया और जब से पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। पत्रावली दिनांक 13.6.2012 से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के जवाब में रखी गयी और इसके पश्चात् दिनांक 24.9.2014 तक चलती रही, कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थीगण को तारीख पेशी की सूचना नहीं दी गई और दिनांक 24.9.2014 कायम मुकाम प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीयान का पेश हुआ ही नही, और ना ही न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और संशोधित उनवान पेश कर दिया गया। पत्रावली उचित आदेश हेतु दिनांक 14.10.14 में रखी गयी। उक्त दिनांक को पीओ अवकाश पर होने के कारण आगामी पेशी 18.11.14 रखी गयी। 18.11.14 को गवाह पी.डब्ल्यू 1 व पी.डब्ल्यू 2 के शपथ पत्र पेश कर दिये गये। जिसकी नकल प्रार्थीगण को या अधिवक्ता को नहीं दी गयी। तारीख पेशी की जानकारी भी नहीं दी गयी और वास्ते जिरह के लिये पत्रावली रखी गयी। दिनांक 22.3.17 को अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली निकलवायी गयी और लिखित बहस पेश कर दी गयी। दिनांक 8.2.18 को वकील प्रतिवादी अनुपस्थित आदेशिका पर अंकित है तथा पूर्व में भी पक्षकार या वकील उपस्थित नहीं है लेकिन एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गयी। अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से साज कर प्रकरण का निस्तारण बिना प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता की जानकारी छुपाते हुये प्रकरण का निस्तारण तुरत फुरत तरीके से अपने पक्ष मे करवाने को आतुर है। प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकरी रामगढ पचवारा के यहां से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण महादेव बनाम कजोड वगैरा मु0 नं0 152/08 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश प्रदान करे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 18/2018 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 8 द्वारा निवेदन किया गया कि अधिवक्तागण प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप की अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से साज कर प्रकरण का निस्तारण बिना प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता की जानकारी छुपाते हुए प्रकरण का निस्तारण करवाने को आतुर है, झूठा एवं मनगढन्त आरोप है। फिर भी यदि प्रार्थीगण प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो कोई आपत्ति नही है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की संभावना नही होना व्यक्त किया गया है तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण को भी प्रकरण को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने में आपत्ति नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन प्रकरण महादेव बनाम कजोड वगैरा मुकदमा नम्बर 152/2008 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में भिजवावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा एवं लालसोट पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official